23.11.21	अभिलाष अनुपस्थित। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार धौलपुर) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक रीडर/2021/245 दिनांक 22.9.2021 से

अवगत कराया कि वांछित सूचना हेतु पटवारी हल्का कस्बा दौलतपुर के पास है और पटवारी हल्का को जरिये पत्रांक रीडर/राजस्व/2020/67 दिनांक 26.7.21 से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने बाबत लिखा था तथा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 68 दिनांक 26.7.21 से हल्का पटवारी से वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत लिखा गया था। लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्रांक प.3(22)प्र.सु./सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के पैरा 3 के अनुसार नागरिकों को लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकारी के पास है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा टिप्पणी के साथ संलग्न पत्र द्वारा अपीलार्थी सूचित किया जा चुका है कि अपीलार्थी

द्वारा वांछित सूचना पटवारी हल्का कस्बा धौलपुर के यहाँ से उपलब्ध होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार धौलपुर है। तहसीलदार धौलपुर ने अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना हेतु पटवारी हल्का को लिखा है वह अनुचित है।

अतः तहसीलदार धौलपुर (लोक सूचना अधिकारी) को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)